HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 13410/2025

National Highway Authority Of India, Through Project Director, National Highway Authority Of India, 87, Ganga Bihar Colony, Behind Rawat Palace, Dausa, District Dausa.

----Petitioner/Non-Applicant

Versus

1. M/s Shiva Stone Sarmathura, Through Partner 1. Sonpal Goyal S/o Bhagwandas Goyal, R/o Hanumangali, Sarmathura, Tehsil Sarmathura, District Dholpur.
2. Babita Garg W/o Deepchand Garg, R/o Hanumangali, Sarmathura, Tehsil Sarmathura, District Dholpur.
3. Sangeeta Goyal W/o Deepak Kumar Goyal, R/o Hanumangali, Sarmathura, Tehsil Sarmathura, District Dholpur.
4. Competent Officer And Land Acquisition Officer (Sdm), Basedi District, Dholpur.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Anuj Goyal for
Mr. Harish Chandra Sharma

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE SAMEER JAIN
Order

22/04/2026

1. By way of present writ petition, the impugned order dated 01.06.2024 and review order dated 23.04.2025 are put to challenge. The relevant portion of original order dated 01.06.2024 is reproduced as under:

> ''बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी। इजराय प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, बसेडी ने आदेश दिनांक 21.03.17 में डिक्रीदारान के पक्ष में 1,30,69,254/– रूपये का अवार्ड स्वीकृत किया गया है, जिसकी पालना में दिनांक 08.09.17 को कुल राशि में से 1,17,62,328/– रूपये का भुगतान जरिये बैंक खाता डिक्रीदारान को किया गया तथा शेष राशि 13,06,626/–रूपये को आयकर के रूप में जमा करवाने हेतु जरिये चै सं. 958621 दिनांक 13.11.17 के द्वारा जमा कराया गया, परंतु उक्त चैक पर्याप्त फण्ड नहीं होने के कारण वापिस कर दिया गया था। जिसके पश्चात पुनः चैक सं. 895500 दिनांक 26.11.19 राशि 13,06,626/– रूपये का जारी किया जाकर चालान आईटीएनएस 281 के साथ संबंधित बैंक शाखा में

भिजवाया गया। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से आदेश की दिनांक 21.03.17 से डिक्रीदारान के पक्ष में शेष राशि 13,06,626/—रूपये का भुगतान आयकर के रूप में दिनांक 26.11.19 को किया गया है। यदि डिक्रीदारान की राशि 13,06,926/—को उसी समय आयकर विभाग में जमा करवाकर फॉर्म सं.16ए दे दिया जाता तो डिक्रीदारान उक्त राशि को रिफण्ड बाबत् क्लेम करते व उसे जमा कराने की तिथि से रिफण्ड की तिथि तक ब्याज आयकर विभाग से मिलता, परंतु आदेश की दिनांक से करीब 2 वर्ष 8 माह 6 दिन के विलंब से डिक्रीदारान की राशि को जमा कराया गया, जिससे डिक्रीदारान को नुकसान होना स्पष्ट है। अतः डिक्रीदारान की ओर से प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मदयूनान को आदेश दिया जाता है कि वह कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, बसेडी के आदेश दिनांक 21.03.17 से शेष जमा राशि की दिनांक 27.11.19 तक की अवधि 2 वर्ष 8 माह 6 दिन की ब्याज 12 प्रतिशत की दर से कुल 4,20,734/— रूपये डिक्रीदारान को अदा करें। पत्रावली भुगतान हेतु दिनांक 20.07.2024 को पेश हो। ''

2. Heard the contentions made by the learned counsel and perused the material available on record.

3. Upon doing the needful, it is noted that the preliminary contention of the petitioner that the impugned orders are passed in a cursory manner, is defeated by the fact that the rationale noted in the impugned order(s), is enumerated after due consideration of material facts and circumstances, in consonance with the provisions of the Civil Procedure Code and other relevant provisions. Further, this Court does not find any infirmity as the delay is caused by the petitioner and respondent No.4 whereby they have released the appropriate amount towards TDS after a lapse of 3 years, and on account of the same, the private respondent was not able to claim the same as a refund. The findings arrived in the original order and dismissal of the review for the justified reasons, and thence, need no interference.

4. Accordingly, the present writ petition is dismissed. Pending applications, if any, shall stand disposed of.

(SAMEER JAIN),J

DEEPAK /3